न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट)

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क)/(ख) के अंतर्गत

परमिशन वाद संख्या 177 वर्ष 2022

आवेदक–मंगरा मॉझी	क्रेता– लिलामनी देवी
ग्राम – गागा टोला चिरूवाबेडा	ग्राम – गागा टोला चिरूवाबेडा
थाना – पेटरवार जिला–बोकारो	थाना –पेटरवार जिला– बोकारो

आदेश की क्र0 सं0 एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ।
01	02	03
12/04/23	**आदेश**	

यह वाद आवेदक मंगरा मॉझी पिता स्व0 चरण मॉझी निवासी ग्राम गागा टोला चिरूवाबेडा थाना पेटरवार जिला –बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(क))/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवत:–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
गागा	01	23	2680	1.04 ए0	15 डी0	कृशि योग्य
	01	23	2680	104 ए0	06 डी0	

को वे अपने मकान बनाने एवं बैल खरीदने हेतु मो0 2,10,000/– (दो लाख दस हजार) रूपये में क्रेता– लिलामनी देवी पति पारस मॉझी ग्राम गागा टोला चिरूवाबेडा थाना पेटरवार जिला– बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 136/रा0 दिनांक 15.02.2023 के माध्यम से अंचल अधिकारी, पेटरवार से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, पेटरवार के पत्रांक 362 दिनांक 11.04.2023 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:–

01. बिक्रेता एवं क्रेता दोनो संथाल जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं केता दोनों ग्राम गागा टोला चिरूवाबेडा थाना पेटरवार जिला–बोकारो का निवासी है।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि सर्वे खतियान में चरण मॉझी पिता मनु मॉझी के नाम से दर्ज है तथा जमाबन्दी चरण मॉझी के नाम से पंजी–II के पृष्ठ सं0 93/1 में दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष 2018–19 तक निर्गत है। बिकेता को यह भूमि आपसी बॅटवारा द्वारा हासिल है।
03. जमाबंदीधारी रैयत से बिकेता का संबंध परदादा–परपोता का है। बिकी वाली भूमि बिकेता के हक व हिस्से के अन्तर्गत आता है जिसपर बिकेता का दखल कब्जा है।
04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी0सी0एल0 अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने

ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन उनके पूर्वज के नाम चरण [illegible] खतियान में दर्ज है तथा जमाबन्दी चरण मॉझी के नाम से [illegible] विक्रेता के अपने–अपने हिस्से की है जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

Digitally signed by SADANAND MAHTO
Date: 2024.09.24 14:19:14 +05:30
Location: 192.168.126.43

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखी है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में हैं।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:–

01. विक्रेता– चरण मॉझी के नाम सर्वेखतियान की छायाप्रति, चरण मॉझी के नाम लगान रसीद की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

02. क्रेता– जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी पेटरवार से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनों संथाल जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं तथा बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही, ग्राम, टोला थाना एवं जिलान्तर्गत निवासी हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की खतियानी जमीन है, जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः वाद आवेदक मंगरा मॉझी पिता स्व0 चरण मॉझी निवासी ग्राम गागा टोला चिरूवाबेडा थाना पेटरवार जिला–बोकारो को निम्नांकित भूमि :–

मौजा	खाता न0	प्लॉट न 0	कुल रकबा	बिकी रकबा	उतर सीमा	दक्षिण सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
गागा	23	2680	1.04 ए0	15 डी0	बिरबल मॉझी	रास्ता	बालेश्वर मॉझी	कलिया मॉझी
	23	2680	1.04 ए0	06 डी0	कालिया मॉझी	बिरबल मॉझी	बिरबल मॉझी	रास्ता
कुल 21 डी0 (एक्कीस) डिसमिल जमीन मात्र।								

मो0 2,10,000/– (दो लाख दस हजार रूपये) या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता– लिलामनी देवी पति पारस मॉझी ग्राम गागा टोला चिरूवाबेडा थाना पेटरवार जिला–बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।